

भूमि उपयोग प्रबन्धन के अभाव में विकास से उत्पन्न समस्यायें (जयपुर जिले के सन्दर्भ में)

दीपक कुमार*

प्रस्तावना

भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। जल, मृदा, पारिस्थितिकी तंत्र, खनिज संसाधन, मानवीय भूदृश्य आदि सभी तत्व भूमि के अंग हैं। भूमि पृथ्वी पर जीवन को सहारा देने वाला एक महत्वपूर्ण घटक है तथा मानव जीवन की सभी गतिविधियाँ प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से भूमि पर ही निर्भर हैं।

भूमि एक समिति संसाधन है एवं पृथ्वी की सतह का केवल 20 प्रतिशत भाग ही भूमि के रूप में उपलब्ध है परन्तु बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये भूमि उपयोग लगातार बढ़ रहा है, जिससे भूमि उपयोग के परिदृश्य में परिवर्तन हो रहा है।

देश में सन् 1990 के पश्चात् आर्थिक उदारीकरण को अपनाया गया फलस्वरूप देश में तीव्र गति से औद्योगिकरण, नगरीकरण, कृषि, आधारभूत अवसंरचना, परिवहन साधन तथा खनिज संसाधनों का विकास हुआ है। विकास से सम्बद्ध उपरोक्त सभी गतिविधियाँ भूमि उपयोग से जुड़ी हैं। बढ़ते विकास के कारण भूमि उपयोग में वृद्धि हो रही है जिससे भूमि का उपयोग उसकी उपलब्धता के स्तर को पार कर गया है। ज्ञातव्य है विकास की गतिविधियाँ बिना भूमि उपयोग प्रबन्धन के सम्पादित हो रही हैं।

भूमि उपयोग प्रबन्धन के अभाव में विकास के कारण वनीय क्षेत्रों का हास वनीय भूमि पर उद्योग, मानवीय अधिवास एवं खनन गतिविधियों का विस्तार हो रहा है, जल संसाधनों से समृद्ध क्षेत्रों में मानवीय हस्तक्षेप बढ़ रहा है तथा आर्द्ध भूमि क्षेत्रों पर कृषि एवं रिहायशी गतिविधियों का विकास हो रहा है।

परिणाम स्वरूप पर्यावरण प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमिगत जल स्तर में भारी गिरावट, हरियाली के क्षेत्र में गिरावट, शहरों में ऊषा द्वीपों का निर्माण, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भारी वृद्धि इत्यादि से सम्बन्ध पारिस्थितिकीय संकट उत्पन्न हो गया है। पारिस्थितिकीय संकटों की प्रबलता नगरीय क्षेत्रों में अधिक दिखाई देती है परन्तु ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसकी प्रबलता में लगातार वृद्धि हो रही है।

भूमि उपयोग प्रबन्ध के अभाव में विकास के कारण वन क्षेत्रों को सर्वाधिक क्षति पहुंची है जिससे कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि हुई है तथा जैव विविधता को गंभीर संकटों का सामना करना पड़ रहा है। खनन गतिविधियों के कारण वन क्षेत्रों में प्रदूषण में वृद्धि हुयी है तथा प्राकृतिक आवासों को क्षति पहुंची है। घटते वन क्षेत्रों के कारण मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया और अधिक तेज हो गयी है।

पारिस्थितिकीय संकटों के कारण जलवायु परिवर्तन की समस्या उत्पन्न हो गयी है जिससे कारण तापमान वृद्धि, बाढ़, सूखा, चक्रवात, ओलावृष्टि जैसी प्राकृतिक आपदाओं की बारम्बरता में वृद्धि हुई है। जयपुर जिला इसका प्रमुख उदाहरण है। जिले में भूमि उपयोग प्रबन्धन के अभाव में जल संसाधनों की कमी प्रदूषण, अवैध खनन, वनों का हास एवं जैव विविधता की क्षति जैसे पारिस्थितिकीय संकट उत्पन्न हो गये हैं।

इस प्रकार उत्पन्न पारिस्थितिकीय संकटों से सम्पूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र क्षतिग्रस्त हो गया है साथ ही भविष्य के लिये सतत विकास का लक्ष्य अत्यधिक चुनौतीपूर्ण हो गया है। आवश्यकता इस बात की है कि देश में भूमि उपयोग प्रबन्धन के सम्बन्ध में विस्तृत योजनाएँ बनायी जायें तथा भूमि उपयोग विवेकपूर्ण एवं सम्पोषणीय हो।

* एम.ए. (भूगोल), परिष्कार कॉलेज ऑफ ग्लोबल एक्सिलेन्स, जयपुर, राजस्थान।

भूमि उपयोग प्रबन्धन के लिये सर्वप्रथम आवश्यक है कि जयपुर जिले में भूमि उपयोग सर्वेक्षण पर बल दिया जाये। भूमि उपयोग सर्वेक्षण के द्वारा उस क्षेत्र की सामाजिक, आर्थिक, जनाकिकीय, भौगोलिक सभी पक्षी की वस्तुस्थिति स्पष्ट हो जाती है जिससे क्षेत्र में भूमि उपयोग प्रारूप एवं भूमि उपयोग प्रबन्धन के सम्बन्ध में विशिष्ट कार्ययोजना बनायी जा सकती है।

जयपुर जिले में भूमि उपयोग सर्वेक्षण को अधिक व्यापक स्तर पर अपनाये जाने की आवश्यकता है। इसके माध्यम से भूमि उपयोग के लिये विविध प्रकार की पेटियों (LUZs) का विकास किया जाना चाहिये इससे भूमि उपयोग के विभिन्न क्षेत्र निश्चित हो जायेंगे तथा नगरों, उद्योगों, कृषि, खनन आदि सभी विकास की गतिविधियों को उपर्युक्त क्षेत्र का चुनाव कर अलग-अलग क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकेगा। इससे भूमि का उचित एवं अधिकतम उपयोग हो सकेगा तथा विकास के कारण उत्पन्न पारिस्थितिकीय संकटों का समाधान आसानी से हो पायेगा। पारिस्थितिकीय संकटों के समाधान के लिये भूमि उपयोग सर्वेक्षण विधि के अतिरिक्त नागरिक एवं सरकारी स्तर पर पारिस्थितिकीय संकटों के समाधान के प्रयास किये जाने की आवश्यकता है।

अध्ययन के विषय क्षेत्र का चयन

वर्तमान सन्दर्भ में पारिस्थितिकीय संकट का अध्ययन एक ज्वलंत विषय बना हुआ है और वर्तमान के अधिक अध्ययन इसी के घटकों पर केन्द्रित है। इसी महत्व को ध्यान में रखते हुए वर्तमान अध्ययन के विषय का चयन किया गया है।

इस विषय के शोध हेतु अध्ययन क्षेत्र के रूप में जयपुर जिले का चयन किया गया है। जयपुर जिला राजस्थान राज्य का एक जिला है। इसका कुल क्षेत्रफल 11,061.44 वर्ग किमी है। इसके उत्तर में सीकर जिला, उत्तर-पूर्व में हरियाणा राज्य, पूर्व में अलवर एवं दौसा, दक्षिण में टोक जिला, दक्षिण-पूर्व में सर्वाईमाधोपुर, पश्चिम में अजमेर एवं उत्तर-पश्चिम में नागौर जिला अवस्थित है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जयपुर जिले की कुल जनसंख्या 66,63,971 है। जिले में 13 सब डिवीजन, 13 तहसील, 13 पंचायत समिति, 2369 गांव, 489 ग्राम पंचायत, 10 नगर पालिका, 1 नगर निगम हैं।

जयपुर जिले में पिछले दो दशकों में तीव्र गति से विकास हुआ है तथा विकास की गतिविधियाँ संचालित हैं। यह राजस्थान में सर्वाधिक नगरीकृत एवं औद्योगिकीकृत क्षेत्र है परन्तु क्षेत्र में नियोजित विकास कम एवं अनियोजित विकास अधिक हो रहा है। विकास की गतिविधियों के लिये भूमि उपयोग प्रबन्धन के अभाव के कारण क्षेत्र में पारिस्थितिकीय संकट अधिक तीव्रता एवं गहनता के साथ प्रकट होने लगे हैं।

जिले के प्रदूषण का स्तर अत्यधिक बढ़ गया है। औद्योगिक इकाईयों एवं शहरी रिहायशी क्षेत्रों में निकलने वाले रासायनिक एवं जैविक अपशिष्टों के ठोस प्रबन्धन का अभाव होने के कारण यह शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यावरणीय समस्याएँ उत्पन्न कर रहे हैं। शहरी कचरे को कृषि योग्य ग्रामीण भूमि, जल स्रोतों के पास या आर्द्ध भूमि क्षेत्रों में निस्तारण किया जा रहा है।

निष्कर्ष

जयपुर शहर में पर्यावरण प्रदूषण में तीव्र वृद्धि हुयी है। औद्योगिक इकाईयों की स्थापना, ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन का अभाव, सीवेज अपशिष्ट, ध्रुम कुहरा, ब्लैक कार्बन उत्सर्जन तथा PM 2.5 कणों का बढ़ता स्तर इसका प्रमुख कारण है। जयपुर शहर का तापमान इसके ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अधिक रहता है इस तरह वह एक ऊषा द्वीप में परिवर्तित हो चुका है। जहां की जलवायु में लगातार घातक परिवर्तन हो रहे हैं।

जयपुर शहर की जलवायु में इस परिवर्तन एवं प्रदूषण में वृद्धि का कारण भूमि उपयोग प्रबंधन का अभाव है जिससे शहर एवं ग्रामीण-नगरीय उपान्त क्षेत्र में वनीय क्षेत्र लगातार घट रहा है। वनीय क्षेत्र की जगह रिहायशी इमारतों ने ली है। औद्योगिक कचरे एवं सीवेज अपशिष्ट का प्रबन्धन का अभाव होने के कारण इसे

जलीय स्रोतों या आबादी के क्षेत्रों में छोड़ा जा रहा है। परिवहन मार्गों की उत्तम व्यवस्था न होने से ट्रैफिक जाम जैसी परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं जिससे घनि प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है। अनियोजित शहरी बसावट के कारण मलिन बस्तियों का निर्माण हो रहा है। इस प्रकार जयपुर शहर अपने विकास के चरण में भूमि उपयोग प्रबन्धन की अवहेलना कर रहा है जिसका परिणाम पारिस्थितिकीय संकट के रूप में सामने आ रहा है।

उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि जयपुर जिले में बढ़ते विकास कार्यों में भूमि उपयोग प्रबन्धन के अभाव के कारण पारिस्थितिकीय संकट उत्पन्न हो गया है। इसके समाधान के लिये भूमि उपयोग प्रबन्धन के द्वारा नियोजित विकास को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।

विषय के अध्ययन का महत्व

वर्तमान विश्व में पारिस्थितिकीय संकट एवं ज्वलंत विषय है। मीडिया, योजनाकार, विद्वान, शिक्षक और छात्र सभी के अध्ययन एवं अनुभवों में पारिस्थितिकीय संकट ने गहरी छाप बना रखी है। गत शताब्दी एवं वर्तमान में भूमि उपयोग प्रबन्धन के अभाव में मानव के द्वारा किये गये अंधाधुन्ध विकास के चलते पारिस्थितिकीय तंत्र का भारी विनाश हुआ है। जिससे अनेक पारिस्थितिकीय संकट उत्पन्न हो गये हैं। इस कारण मानवीय जीवन का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है तथा सतत विकास का लक्ष्य अत्यधिक चुनौतीपूर्ण हो गया है।

आवश्यकता इस बात की है कि विकास की गतिविधियों में भूमि प्रबन्धन के सम्बन्ध में स्पष्ट नीतियां हों जिससे नियोजित विकास को बढ़ावा मिले तथा पारिस्थितिकीय संकटों का समाधान हो सकें। वर्तमान विषय के अध्ययन के माध्यम से जयपुर जिले में भूमि उपयोग प्रबन्धन की आवश्यकता पर बल दिया गया है भूमि उपयोग प्रबन्धन के अभाव में जो पारिस्थितिकीय संकट उत्पन्न हो गये हैं उनकी वस्तुरिति को सरकारों एवं जनता के समक्ष स्पष्ट करते हुये उनका समाधान प्रस्तुत किया करना है। इस विषय की अध्ययन में ही जयपुर जिले में भूमि उपयोग प्रबन्धन के लिये किस प्रकार की कार्ययोजना बनायी जाये उसके सम्बन्ध में विवरण प्रस्तुत किया गया है।

वर्तमान अध्ययन का महत्व

वर्तमान अध्ययन राजस्थान में सर्वाधिक तीव्र गति से विकास कर रहे जयपुर जिले से सम्बद्ध है जिसके माध्यम से जिले में विकास के कारण उत्पन्न पारिस्थितिकीय संकट की पृष्ठभूमि में भूमि उपयोग प्रबन्धन के अभाव की जांच की जा सकें। वर्तमान अध्ययन का अत्यधिक महत्व है इसमें भूमि उपयोग प्रबन्धन को प्रोत्साहन, उत्पन्न पारिस्थितिकीय संकटों का अध्ययन इन संकटों की तीव्रता एवं प्रभाव, संसाधनों का संरक्षण, भूमि उपयोग प्रबन्धन की समस्याएँ, समस्याओं का प्रबन्धन, भूमि उपयोग प्रबन्धन तकनीक आदि संकल्पनाओं को सम्मिलित किया गया है। वर्तमान अध्ययन इस तथ्य को भी उजागर करेगा कि जयपुर जिले में विकास को अधिक नियोजित एवं सन्तुलित बनाये रखने के लिये भूमि उपयोग प्रबन्धन के सम्बन्ध में जो प्रयास किये गये हैं वे कितने सार्थक एवं सकारात्मक रहे हैं तथा भूमि उपयोग प्रबन्धन के अभाव में जो संकट उत्पन्न हो गये हैं उनका समाधान कैसे किया जायें।

इस सबके अलावा वर्तमान अध्ययन में भविष्य के लिये भूमि उपयोग प्रबन्धन तथा विकास के लिये सुझाव भी सम्मिलित होंगे।

अध्ययन के आधार पर समस्याएँ

वर्तमान अध्ययन एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर आधारित है जिसके निम्न आधार व समस्याएँ हैं:-

- जयपुर जिले में विकास की गतिविधियों में भूमि उपयोग प्रबन्धन की अवहेलना के कारण पारिस्थितिकीय संकट उत्पन्न हो गये हैं।
- पारिस्थितिकीय संकट एवं भूमि उपयोग प्रबन्धन के अन्तर्सम्बन्धों पर प्रदेश में कोई उच्च स्तरीय शोध कार्य सम्पादित नहीं हो पाया है।

- भूमि उपयोग प्रबन्धन के लिये भूमि उपयोग सर्वेक्षण पर ध्यान नहीं दिया गया है तथा विस्तृत कार्ययोजना का अभाव है।
- प्रदेश के लिये सतत विकास का लक्ष्य अत्यधिक चुनौतीपूर्ण हो गया है।
इस प्रकार ये कुछ ऐसी समस्याएँ रही हैं जिन्होंने वर्तमान अध्ययन का रूवरूप तैयार करने में मदद की है और इन्हीं पर केन्द्रित रहते हुए वर्तमान अध्ययन का ढांचा तैयार किया गया है।

अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य

अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य निम्न प्रकार हैं:-

- अनियोजित विकास के कारण उत्पन्न पारिस्थितिकीय संकट की पहचान करना तथा उनके प्रभाव को न्यूनतम करने के लिये समाधान प्रस्तुत करना।
- विकास कार्यों में भूमि उपयोग प्रबन्धन तथा पारिस्थितिकीय संकट के मध्य अन्तर्सम्बन्धों का समग्र अध्ययन करना।
- भूमि उपयोग प्रबन्धन के सम्बन्ध में विस्तृत कार्ययोजना का ढांचा तैयार करना।
- सतत विकास के लक्ष्य की प्राप्ति एवं मानव जीवन के अस्तित्व की रक्षा करना।

शोध की परिकल्पना

- विकास कार्यों में भूमि उपयोग प्रबन्धन का अभाव है जिसमें पारिस्थितिकीय संकट उत्पन्न हो रहे हैं।
- भूमि उपयोग प्रबन्धन तथा पारिस्थितिकीय संकट के समाधान हेतु विस्तृत एवं प्रभावी कार्ययोजना का अभाव है।
- भविष्य के लिये सतत विकास का लक्ष्य सुनियोजित विकास पर निर्भर करता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. "Delhi Master Plan 2021", Govt of Delhi.
2. Draft National land utilization policy: Framework for land use planning & management- Department of land Resources, Government of India (2013).
3. Draft national water policy (2012) National water board, Government of India, ministry of water resources, point 1.2
4. Dynamics of land use competition in India: perception land realities-Vijay Paul Sharma (2015), Indian institute of management, Ahmedabad.
5. Enemark, S. (2007), "Integrated land-use management for sustainable development".
6. EPA (1974). "Land use and environment protection". US Environment protection agency, Washington, D.C.
7. FAO (2010), Global forest resources assessment 2010, main report, food and agriculture organization of the United Nation, Rome.
8. FAO/UNEP (1996). Our land our future, A new approach to land use planning and management, FAO/UNEP, Rome.
9. John R. Nolon. The national land use policy Act, 13 pace environment law review 519 (1996), Vol. 13
10. Meena, V.P. 2014: "Jal Prabandhan aur Paristhitikiya Vikas", Pointar publication, Jaipur.

